

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-राजनांदगाँव, छोगा

कमाक/पुअराज/ओएम/म/2408-0 /2005

दिनांक 2/8/2005

प्रति ✓

श्री त्रिपुरारी राय,  
रुप निदेशक,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
पॉवडी मंजिल लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली

विषय -- दिनांक 10/7/2005 में प्रकाशित समाचार 'निर्वस्त कर पीटने के बाद महिला की हत्या के संबंध में जिला-राजनांदगाँव, छोगा

संदर्भ -- आपका पत्र क्रम/ छोगा/ एसटी9/ 2005-एक्टोसिटी दिनांक 20-7-2005

—00—

निवेदन है कि कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अवलोकन करने की कृपा करें। प्रार्थी जगन्नाथ जाठ स्व. दाउरिंग गोड, उम्र 26 साल साकिन तारपटोला थाना गोलोकी न थाना अंचोकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज से लगभग जेठ माह पूर्व गाँव का कल्याण को बहु बिमारी से खत्म हुई थी। तब कल्याण सिंह व गाँव वाले इसकी मौ को लेकी होने की शंका किये थे। टोन्ही की बात को लेकर इसकी मौ फूलबती बाई पति स्व. चंदरिंग गौड उम्र 50 वर्ष ( मृतिका) को दत्त दिनांक 9-7-2005 के 5-20 बजे शाम को गाँव चौर में गाँव के बान्नाथम पूत अन्ना रामोणम द्वारा मीटिंग में बुलाया गया तथा टोन्ही का गाँव के माला देवालय को मंगा करवा हो, गाँव के लोगों को खा जाते हो कहकर प्रताड़ित किये, टोन्ही गलौच कर जान से मारने की धमकी दिये। टोन्ही की बात को फूलबती बाई ( मृतिका) द्वारा इंकार किया गया, इसके पश्चात वह पुत्रो के साथ घर वापस चली गई।

इसके बाद करीबन 10.10-30 बजे रात को गाँव वाले पुनः मृतिका फूलबती बाई को घर से बुलाये एवं मारते पीटते घसीटते गाँव के तालाब पानी में धकेल दिये जो वहाँ से उभरी पान बचाकर भागकर तालाब के पास स्थित अपने लड़के रंजन के घर पहुँची। गाँव लड़के वहाँ था पीछे पहुँचकर मृतिका फूलबती बाई को लाठी हाथ मुक्का से मारते घसीटते गाँव के लड़के में लाकर भागकर हत्या कर दिये। हत्या करने के पश्चात गाँव वालों द्वारा अपराध में उद्योग के उद्देश्य से कनक नाला के पास ले जाकर शव जला दिये। घटना के समय गाँव का नाम, खाना ( पेटोकोट) एवं माडी पहनी हुई थी निर्वस्त नहीं किया गया था। रिपोर्ट पर थाना अम्बामठ चौकी में दिनांक 10-7-2005 को अपराध कमाक 79/2005, थाना-107, 138, 139, 202, 120-बी, 201 आदि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुँचने पर प्रकरण में 25 पुरुष एवं 07 महिला को गिरफ्तार किया गया है तथा धारा-151 के अन्तर्गत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है। जिसके कारण ही किसी प्रकार कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई। गाँव के हालात शांतिपूर्ण है, फिर भी एंटी-रिवाल्वर के तौर पर गाँव में पुलिस बल लगाया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

कृपया व्यक्तिगत जानकारी आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।



पुलिस अधीक्षक,  
जिला राजनांदगाँव, 80410